To,

Conservator of Forests

Kota.

Sub :- Forwarding of FCA proposal Construction of Diversion Channel of Forest Nallah under Baran city Flood Protection Scheme.

(FP/RJ/Others/11491/2015)

Sir,

I am of the opinion that the above mentioned project may be considered for approval under FCA 1980 subject to compliance of following conditions by user agency as decided during joint inspection by Collector Baran, DCF Baran & SE, Irrigation Water Resource, Baran which is as follows.

फोरेस्ट नाला डायवर्जन चैनल का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 05.10.2015 को जिला कलक्टर महोदय, बारां, उप वन संरक्षक, बारां एवं अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन वृत्त, बारां द्वारा किया गया।

निरीक्षण के दौरान अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन वृत्त, बारां द्वारा प्रस्तावित रूट संख्या 2 का निरीक्षण किया गया। उप वन संरक्षक, बारां द्वारा कार्यालय में स्थित भवनों एवं अन्य सुविधाऐं जो डायवर्जन चैनल निर्माण के दौरान क्षतिग्रस्त होगे उनके बारे में निम्नानुसार अवगत कराया गया :–

क.स.	**कार्य का विवरण**
1	मैन गेट मय पिल्लर व एक्सटेसन वाल
2	चौकीदार रूम मय चबूतरा
3	क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय एंव निवास
4	चार दिवारी क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय एंव निवास
5	नर्सरी बोरवेल मय विद्युत मोटर
6	डिवीजन कार्यालय व पीछे बोरवेल मय विद्युत मोटर
7	गश्ती दल का बैरक रूम नम्बर 3
8	पुरानी रेंज कार्यालय का भाग
9	मोटर व्हीकल स्टेण्ड
10	केम्पस के पानी के निकास की ड्रेनेज – 3
11	मैन गेट से डिविजन कार्यालय तक ग्रेवल सड़क
	योग

प्रस्तावित मार्ग से 59 हरित बड़े पेडों के कटने का नुकसान जिसमें नीम, केंत, सिरस, शीशम, करंज, अर्जुन सफेदा, पल्टा फार्म, खेजड़ा, देशी बबूल इत्यादि के आयेंगे।

उक्त क्षतिग्रस्त भवन एवं सुविधाऐं यूजर एजेन्सी अपने खर्चे से पुनः निर्माण कर तत्काल वन विभाग को उपलब्ध कराने हेतु जिला कलक्टर महोदय, बारां द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन वृत्त, बारां निर्देशित किया गया। उक्त निर्देशों की पालना करने संबंधी अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन वृत्त, बारां द्वारा सहमति प्रकट कर आश्वस्त किया गया।

जिला कलक्टर, बारां द्वारा अवगत कराया गया, यदि उक्त कार्य हेतु यूजर एजेन्सी राषि वन विभाग में जमा नही करायेगी क्योकि राशि जमा होने पर राज्य सरकार में जाती है जिससे राशि प्राप्त करने में काफी समय व्यतीत होता है। जिससे कार्य करने में विलम्ब होगा।

निम्न शर्तो की पूर्ण पालना यूजर एजेन्सी द्वारा अपने खर्चे पर की जाती है तो प्रस्तावित रूट नम्बर 2 पर नाला निर्माण हेतु यह कार्यालय सहमति व्यक्त करता है।

(1.) नाले का कार्य पहले राईस मिल साईड से शुरू किया जावे।
(2.) राईस मिल का अधिग्रहित क्षैत्र नाला बनने के उपरान्त वन विभाग के कार्यालय में आवागमन हेतु सुरक्षित रखा जावे।
(3.) निर्माणाधीन नाले की मिट्टी कहीं बाहर नहीं डाली जावे, मिट्टी को परिसर में विभाग द्वारा बताये स्थल पर डलवाकर लेवल करवाया जावे।
(4.) 15 मीटर चौड़े नाले पर पूर्ण लम्बाई (वन सीमा) में सी.सी. रोड़ बनाई जावे।
(5.) नर्सरी हेतु बोरवेल व पाईप लाईन का कार्य पूर्व में ही तैयार किया जावे।
(6.) केम्पस से वर्षा के पानी की ड्रेनेज सिस्टम चारों स्थानों पर बनाकर देवें।
(7.) बड़े पेडों को हटाने से पूर्व उनकी कीमत विभाग में जमा करनी होगी।
(8.) ग्रेवल सड़क के दोनों किनारों पर वन महोत्सव के दौरान लगाये गये पौधो की एवज में पुनः पौधारोपण करवाया जावे।
(9.) यूजर एजेन्सी निम्न कार्य अपने स्तर से करवाकर विभाग को हस्तान्तरित करें :–

क.स.	कार्य का विवरण	अनुमानित राषि (लाखों में)
1	मैन गेट मय पिल्लर व एक्सटेसन वाल	1.00
2	चौकीदार रूम मय चबूतरा	1.50
3	क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय एंव निवास	15.00
4	चार दिवारी क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय एंव निवास	1.50
5	नर्सरी बोरवेल मय विद्युत मोटर	2.00
6	डिवीजन कार्यालय व पीछे बोरवेल मय विद्युत मोटर	1.00
7	गश्ती दल का बैरक रूम नम्बर 3	15.00
8	पुरानी रेंज कार्यालय का भाग	3.00
9	मोटर व्हीकल स्टेण्ड	3.00
10	केम्पस के पानी के निकास की ड्रेनेज – 3	2.50
11	50 रनिंग मीटर सी.सी. रोड़ चौड़ाई 5 मीटर	4.50
	योग	**50.00**

(सुनील चिद्री)
उप वन संरक्षक
बारां